कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 14|5|08 दिनांक 05-01-2015

पत्र संख्या -स0द0 - 25 क -परिपत्र वाहन अभिग्रहण (रिट पिटीशन संख्या-478/2014)-2014-15 /20999 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(सचल दल अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक:: जनवरी 02 , 2015

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर /
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) / अपील
ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) / कार्यपालक ,
डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर /
वाणिज्य कर अधिकारी
वाणिज्य कर विभाग , उत्तर प्रदेश।

विषय :- माल को अभिग्रहीत करने के बाद वाहन को अभिग्रहीन न करने एवं न रोके जाने के संबंध में ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा- 48 (1) के अन्तर्गत केवल माल को अभिग्रहीत करने का अधिकार दिया गया है तथा इस संबंध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली का नियम -55 बनाया गया है । अधिनियम तथा नियमावली में माल को जॉच हेतु रोके जाने पर उसके अभिग्रहण की कार्यवाही एक निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत करने की व्यवस्था है।

उक्त संदर्भ मे अनेक मामलों में यह पाया गया है कि अभिग्रहण की कार्यवाही के उपरान्त भी माल सहित वाहन रोक लिया जाता है । इस संबंध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या-508 (25 क परिपत्र)/1066 / व्यापार कर दिनांक 18-10-2000 एवं परिपत्र संख्या-चे0पो-बरेली रिट पिटीशन संख्या-67/06 राजपाल रोड लाइन्स-09-10-/ 272 (एडी0कमि0 कैम्प) / वाणिज्य कर दिनांक 11-12-2009 द्वारा पूर्व विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इनमें स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वाहन का अभिग्रहण न किया जाये।

स्पष्ट निर्देश के उपरान्त भी ऐसे तथ्य प्रकाश में आये हैं जिसमें अभिग्रहण की कार्यवाही के उपरान्त वाहन रोक लिये गये थे। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका संख्या 478/ 2014 संदीप बल्क कैरियर , रतनगंज , भरतपुर गेट , मथुरा बनाम उ0 प्र0 सरकार व अन्य योजित की गई । इस रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19-12-2014 में अपने पूर्व पारित आदेशों के क्रम में विपरीत कार्यवाही किया जाना पाये जाने पर कठिन रुख अपनाते हुये यह निर्देश दिये है कि संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध विधि विपरीत कार्यवाही किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में सरकारी कर्मचारी मनमानी कार्यवाही न कर सकें । मा0 उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित प्रकरण में कास्ट एवार्ड करते हुये वादी को हर्जाना दिये जाने के भी निर्देश दिये गये है।

अत: वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये जाते हैं कि वाहनों की जॉच करने के उपरान्त जिन मामलों में वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत माल को जॉच हेतु रोका जाना अथवा उनका अभिग्रहण किया जाना आवश्यक हो , वहॉ माल को रोकने अथवा उनके अभिग्रहण की कार्यवाही निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत करते हुये वाहन को तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित किया जाय। जिन प्रकरणों में आपराधिक कृत्य होने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो , वहॉ वाहन एवं माल के संबंध में निर्णय संबंधित न्यायालय द्वारा लिया जाता है। अत: यहॉ उपरोक्त निर्देश लागू नही होंगे। पर ऐसे प्रकरणों में भी यदि न्यायालय द्वारा माल व वाहन को अवमुक्त करने के निर्देश संबंधित अपराधिक कृत्य पर विचार करते हुये दिये जाते हैं और वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत जमानत / अर्थदण्ड हेतु माल को रोका जाना /अभिग्रहण किया जाना आवश्यक हो वहॉ भी सिर्फ माल को ही रोका जाय / अभिग्रहीत किया जाय व वाहन को अनावश्यक वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के बाहर जाते हुये न रोका जाये।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । यदि भविष्य में निर्देशों के उल्लंघन करने का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के साथ-साथ राजस्व के बिन्दु पर भी उसे उत्तरदायी मानते हुये इसकी भरपायी उससे की जाएगी।

2.1.15
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर , वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0 पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव , कर एवं निबन्धन अनुभाग -2 , उ0 प्र0 शासन ,लखनऊ।
2- संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिजय कर अधिकारी ,प्रशिक्षण संस्थाान , गोमतीनगर, लखनऊ।
3- समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

02.01.2015
(वी0 के0 शुक्ला)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (सचलदल) वाणिज्य कर,
मुख्याालय, लखनऊ।